संख्याः 1233/79–6–10

प्रेषक,

अनिल संत
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 12 नवम्बर, 2010

विषयः ग्रामीण क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन के संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय में ''मध्यान्ह भोजन निधि'' के नाम से पृथक खाता खोला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/492/2010–11 दिनांक 17–5–2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर खोले गये ग्राम निधि खाता संख्या–5 (मिड–डे–मील) के स्थान पर मध्यान्ह भोजन निधि के नाम से पृथक खाता खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्याः 515/33–9–2007–70/2007 दिनांकः 11 अप्रैल, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना हेतु ग्रामनिधि खाता संख्या–5 (मिड–डे मील) खोला गया है। जिसमें मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत की धनराशि रखी जाती है। उक्त खाते का संचालन सम्प्रति ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। सामान्यतः एक ग्राम पंचायत सचिव द्वारा 4–5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखे जाने तथा दूसरी मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयवार एकाउन्टिंग की आवश्यकता होने के कारण योजना के संचालन में स्थानीय स्तर पर कठिनाई अनुभव की जा रही है। इस सम्बन्ध में योजना के सुचारू संचालन हेतु मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी भारत सरकार के प्रथम ज्वाइंट रिव्यू मिशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर ''मध्यान्ह भोजन निधि'' का खाता खोले जाने तथा इसका संचालन ग्राम प्रधान एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3. अतः श्री राज्यपाल महोदय मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना हेतु पृथक खाता खोले जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं। यह खाता ''मध्यान्ह भोजन निधि'' कहलायेगा। इस खाते में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत, रसोइये का मानदेय, किचेन उपकरण, किचेन शेड निर्माण, एम0एम0ई0 आदि की धनराशि रखी जाएगी तथा ग्राम निधि में अवशेष परिवर्तन लागत की धनराशि एवं ग्राम शिक्षा समितियों के खाते में उपलब्ध मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी धनराशि मध्यान्ह भोजन निधि में तत्काल स्थानान्तरित कर दी

जाएगी। मध्यान्ह भोजन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी योजना की धनराशि इस खाते में नहीं रखी जाएगी ।

4– उक्त खाते का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। यह सभी खाते समीपस्थ सी0बी0एस0 ब्रांच में ही खोले जायेगें, जिससे जनपद स्तर से भेजी गयी धनराशि तत्काल सम्बन्धित खाते में उपलब्ध हो सके। इस खाते में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु रखी जाने वाली विभिन्न मदो की धनराशि का लेखा–जोखा मदवार पृथक–पृथक रखा जायेगा । इस प्रकार खोले गये खातो का नियमित रख–रखाव, बैंक से लेन–देन का मिलान एवं आडिट की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

5– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय संख्या–ई–11–2247 /दस–2010 दिनांक 11–11–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

12/11/10

(अनिल संत)
सचिव

संख्याः 1233(1)/79–6–10 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0 ।
8. मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।